

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-अप्रैल, 2007 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 22 मार्च, 2007 (चैत्र 1, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे।

(2) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार :-

- (क) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 48वां एवं 49वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 (दिनांक 1 जुलाई, 2004 से दिनांक 30 जून, 2005 तक तथा दिनांक 1 जुलाई, 2005 से दिनांक 30 जून, 2006 तक)
- (ख) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 33वां एवं 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 (दिनांक 1 जुलाई, 2004 से दिनांक 30 जून, 2005 तक तथा दिनांक 1 जुलाई, 2005 से दिनांक 30 जून, 2006 तक)
- (ग) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 (दिनांक 1 जुलाई, 2004 से दिनांक 30 जून, 2005 तक तथा दिनांक 1 जुलाई, 2005 से दिनांक 30 जून, 2006 तक)
- (घ) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 एवं 2005-2006 (दिनांक 1 जुलाई, 2002 से दिनांक 30 जून, 2003 तक तथा दिनांक 1 जुलाई, 2005 से 30 जून, 2006 तक)
- (ङ) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 (दिनांक 1 अप्रैल 2004 से दिनांक 31 मार्च, 2005 तक)
- (च) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का (दिनांक 30 जून, 2005 एवं 30 जून, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 जुलाई, 2004 से दिनांक 30 जून, 2005 तक तथा दिनांक 1 जुलाई, 2005 से दिनांक 30 जून, 2006 तक); तथा
- (ज) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, ग्राम करोंदी, जिला कटनी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 (दिनांक 1 जुलाई, 2005 से दिनांक 30 जून, 2006 तक),

पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले में सरसों उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु व्यवस्था न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री रविन्द्र सुका महाजन, सदस्य, प्रदेश में कृषकों से बी.टी. कपास बीज का अधिक मूल्य लिये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

- (1) श्री इन्द्रजीत कुमार, सभापति, लोक लेखा समिति का 304 वां से 349 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (2) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सभापति, प्राक्कलन समिति का अष्टम्, नवम् तथा दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

- (क) ग्राम संवासड़ा एवं पिललोदी में हाई स्कूल प्रारंभ किये जाने, तथा
- (ख) ग्राम ढाबलीकला से धामन्या तक मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

(2) श्री बहादुर सिंह, सदस्य, उज्जैन जिले के -

- (क) ग्राम झारडा में नवीन नल-जल योजना स्वीकृत किये जाने,
- (ख) ग्राम गोलाखेड़ी से बैजनाथ व्याहा छिंगरी माओखेड़ी, गुराडियादासा तक सड़क बनाये जाने,
- (ग) ग्राम खेड़ाखजूरिया में स्थित हायर सेकेण्डरी स्कूल में विज्ञान संकाय प्रारंभ किये जाने,
- (घ) ग्राम महिदपुर में नवीन नल-जल योजना स्वीकृत किये जाने,
- (ड) ग्राम रणायरापीर में हाई स्कूल खोले जाने,
- (च) ग्राम लाड़नपुर से मकलाखेड़ा व्याया खदानिया, कानाखेड़ी हम्मा तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (छ) ग्राम डोंगला, बिनपुरा, बिसलखेड़ी, इटावा तक सड़क निर्माण की स्वीकृति दिलाये जाने,
- (ज) ग्राम मुण्डला से आलोट-बडोद व्याया माल्या तक सड़क की स्वीकृति दिलाये जाने,
- (झ) ग्राम झारडा में छात्राओं हेतु पृथक् हाई स्कूल स्वीकृत किये जाने, तथा
- (ज) ग्राम जगोटी में हाई स्कूल स्वीकृत किये जाने,

(3) श्रीमती अर्चना दीदी, सदस्य, बुरहानपुर जिले के -

- (क) ग्राम छैगांवमाखन-डेढ़तलाई-अमरावती मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित किये जाने एवं सड़क निर्माण कराये जाने,
- (ख) ग्राम बहादरपुर में सहकारी सूत मिल के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अंतिम वेतन, ग्रेचुटी, मुआवजा, विशेष अनुदान की राशि दिलाये जाने,
- (ग) बुरहानपुर पावर लूम उद्योग को विद्युत बिलों में कंसेशनल टैरिफ की दर 25 हार्सपावर से बढ़ाकर 75 हार्सपावर किये जाने, तथा
- (घ) प्रदेश में पावरलूम उद्योगों के विकास हेतु क्रय की जाने वाली भूमि की दरों का 1.5 गुना स्टाम्प छूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट दिये जाने,

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के -

- (क) ग्राम बसिगड़ा में माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने, तथा
- (ख) ग्राम खजुरहन में अवैधानिक कब्जों की भूमि को मुक्त कराकर अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब परिवारों को आवंटित किये जाने,

(5) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम चिनगवाह वार्ड क्रमांक-2 डोलकी टोला में विद्युतीकरण कराये जाने,

(6) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, कटनी जिले के -

- (क) ग्राम सकरीगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कराये जाने,
- (ख) ग्राम भजिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कराये जाने, तथा
- (ग) ग्राम गणेशपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(7) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

- (क) ग्राम सिरगोरा में दस बिस्तरीय अस्पताल खोले जाने, तथा
- (ख) ग्राम परासिया एवं झुर्रमाल में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(8) पं. रमेश दुबे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

- (क) तहसील चौरई के गोकुल ग्राम नीलकंठी से निसानजानोजी, नवेंगांव गौड़ तथा सालई छिन्दी तक सड़क का डामरीकरण व पुलिया निर्माण किये जाने, तथा
- (ख) तहसील चौरई के ग्राम हलाल एवं सिवनी के ग्राम बेलपेठ के मध्य पेंच नदी पर सेतु निर्माण किये जाने, एवं

(9) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड़ा), सदस्य, बालाधाट जिले के -

- (क) तहसील वारासिवनी के ग्राम बेनी-डांगोरली घाट पर पुल निर्माण किये जाने,
- (ख) तहसील वारासिवनी के ग्राम छोटी छापेवाड़ा के बीच बेनगंगा नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
- (ग) वारासिवनी के जागपुर घाट पर पुल निर्माण किये जाने,
- (घ) तहसील वारासिवनी के ग्राम रामपायली में 33/11 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किये जाने, तथा
- (ड) वारासिवनी शहर को औद्योगिक फीडर के अन्तर्गत घोषित किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

- | | |
|----------------------|---|
| (1) मांग संख्या - 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
| मांग संख्या - 61 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं |
| मांग संख्या - 79 | चिकित्सा शिक्षा. |

(2)	मांग संख्या - 15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
	मांग संख्या - 30	ग्रामीण विकास
	मांग संख्या - 52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
	मांग संख्या - 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं पंचायत
	मांग संख्या - 62	अल्पसंख्यक कल्याण
	मांग संख्या - 63	पिछड़ा वर्ग कल्याण
	मांग संख्या - 66	जैव विविधता (बायो-डायर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो टेक्नॉलॉजी) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.
	मांग संख्या - 71	
	मांग संख्या - 80	
(3)	मांग संख्या - 5	जेल.
(4)	मांग संख्या - 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
	मांग संख्या - 9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
	मांग संख्या - 35	पुनर्वास
	मांग संख्या - 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व
	मांग संख्या - 58	प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.
(5)	मांग संख्या - 25	खनिज साधन
	मांग संख्या - 26	संस्कृति.
(6)	मांग संख्या - 16	मछली पालन

निर्धारित
समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री राघव जी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2007 (क्रमांक 5 सन् 2007) का *पुरस्थापन करेंगे।
- (2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन विधेयक 2007 (क्रमांक 30 सन् 2007) पर विचार किया जाय।
- उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।
- (3) श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गौ-सेवा आयोग विधेयक, 2007 (क्रमांक 6 सन् 2007) पर विचार किया जाय।
- उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

भोपाल :
दिनांक : 21 मार्च, 2007

डॉ. ए.के. पवासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

*अनुदानों की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्